सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या– 1474 /अड़तीस–7–19–1529एलसी/18

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 **लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 2019**

विषयः– जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के संबंध में अभियान चलाकर समेकित कार्यवाही किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव महोदय के स्तर से निर्गत ग्राम्य विकास अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–1467/38–7–2019–1529एलसी/18 दिनांक 20–06–2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के संबंध में अभियान चलाकर समेकित कार्यवाही किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उपर्युक्तानुसार निर्गत शासनादेश दिनांक 20–06–2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के संबंध में समयान्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही हेतु निम्नानुसार जनपद स्तर पर समिति गठित करते हुए सतत अनुश्रवण लक्षित प्रगति सुनिश्चित की जायः–

(1) जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
(2) मुख्य विकास अधिकारी	**उपाध्यक्ष**
(3) जिला विकास अधिकारी	**सदस्य–सचिव**
(4) पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, वन विभाग, पर्यावरण, नाबार्ड, नगर विकास, उद्यान विभाग, भूगर्भ जल विभाग एवं संबंधित लाइन विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी	**सदस्य**

3– उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन के संबंध में की गयी/की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा पाक्षिक रुप से सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुपालन आख्या ई–मेल आईडी–crd-up@nic.in एवं upregs@gmail.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या– 1474(1)/38–7–2019तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, कृषि, लघु सिंचाई, पंचायती राज, वन, पर्यावरण, नगर विकास, उद्यान, भूगर्भ जल, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर ,मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ,लखनऊ।
4. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड।
6. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. संबंधित विभागों के जनपदीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विजय बहादुर वर्मा)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner